

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2864]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 20, 2013/अग्रहायण 29, 1935

No. 2864]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 20, 2013/AGRAHAYANA 29, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2013

का. आ. 3754(अ).—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के वडोदरा जिले में प्रस्तावित अहमदाबाद — वडोदरा एक्सप्रेस वे के कि.मी. 85.000 से कि.मी. 87.000 तक के भूखण्ड (अहमदाबाद — वडोदरा सेक्शन) के निर्माण (टोल प्लाजा के विस्तारण), अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि-अर्जन अधिकारी, यूनिट-1, पहली मंजिल, कोठी भुवन, वडोदरा को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य में अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे एनई - 1, के 85.000 कि.मी. से 87.000 कि.मी. (अहमदाबाद—वडोदरा सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	ब्लोक/सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
				उपविभाजन से पहले	उपविभाजन के बाद			
1	2	3	4	5		6	7	8
1	वडोदरा	वडोदरा	सोखडा	783		निजी	कृषि	252
				684		निजी	कृषि	1001
				682		निजी	कृषि	1286
				652		निजी	कृषि	1145
				665		निजी	कृषि	70
				653		निजी	कृषि	1326
				661		निजी	कृषि	635
				471		निजी	कृषि	105
				472		निजी	कृषि	3140
				468		निजी	कृषि	1282
				474		निजी	कृषि	54
				466		निजी	कृषि	746
				473		निजी	कृषि	1611
				493		निजी	कृषि	10
				658		निजी	कृषि	2579
			आजोड	109	109/b	निजी	कृषि	3200
				112	112/b	निजी	कृषि	2559
				111	111/b	निजी	कृषि	784
				155		निजी	कृषि	1050
				116		निजी	कृषि	565
				110		निजी	कृषि	300

[फा.सं. भाराराप्रा/बीओटी/डीबीएफओ/एनई.1/अहमदाबाद/2013]

माया प्रकाश, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2013

S.O. 3754(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (Extension of Toll Plaza), maintenance, management and operation of Proposed Ahmedabad—Vadodara Expressway, on the stretch of land from 85.000 KM To 87.000 KM (Ahmedabad—Vadodara Section) in district Vadodara in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Special Land Acquisition Officer, Unit-1, 1st Floor, Kothi Compound, Vadodara in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all

such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 3C of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the Land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from KM 85.000 To 87.000 KM Ahmedabad Vadodara Expressway NE-1, in the State of Gujarat.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Block / Survey number		Type of Land	Nature of Land	Area(in Square metres)
				Block / Survey Number before Sub-division	Block / Survey Number after Sub-division			
1	2	3	4	5		6	7	8
1	Vadodara	Vadodara	Sokhada	783		Private	Agriculture	252
				684		Private	Agriculture	1001
				682		Private	Agriculture	1286
				652		Private	Agriculture	1145
				665		Private	Agriculture	70
				653		Private	Agriculture	1326
				661		Private	Agriculture	635
				471		Private	Agriculture	105
				472		Private	Agriculture	3140
				468		Private	Agriculture	1282
				474		Private	Agriculture	54
				466		Private	Agriculture	746
				473		Private	Agriculture	1611
				493		Private	Agriculture	10
				658		Private	Agriculture	2579
			Ajod	109	109/b	Private	Agriculture	3200
				112	112/b	Private	Agriculture	2559
				111	111/b	Private	Agriculture	784
				155		Private	Agriculture	1050
				116		Private	Agriculture	565
				110		Private	Agriculture	300

[F. No. NHAI/BOT/DBFO/NE-1/Ahmedabad/2013]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.